

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 106]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2013—फाल्गुन 24, शक 1934

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल, (मध्यप्रदेश)

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2013

सूचना

क्र. 1148-नगानि-362-वियो-2013.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि दमोह निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 14 के अधीन तैयार कर अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 15 मार्च 2013 को प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति कार्यालयीन समय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है :—

1. जिला कलेक्टर, दमोह
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, दमोह
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सागर

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में प्रदर्शनी स्थल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सागर में इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

के. सी. गुप्ता, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. एफ-3-27-बत्तीस-2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1148-नगानि-362-वियो-2013, भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 6th March 2013

NOTICE

No. 1148-MPS-362-2013.—Notice is hereby given that the Draft of Development Plan for Damoh Planning Area has been prepared under the provision of Section 14 and published on dated 15th March 2013 in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), a copy thereof is available for inspection at, :—

1. Collector, District-Damoh
2. C.M.O. Municipal Council, Damoh
3. Joint Director, Town and Country Planning, Distt. Office Sagar, during office hours.

If there be any objection or suggestion with respect to the said draft plan, the same may be submitted in writing to the venue place or Joint Director, Town and Country Planning, Sagar before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration.

K. C. GUPTA, Commissioner-cum-Director.